

प्ररूप - दो  
(नियम - 6 देखिये)

छत्तीसगढ़ शासन



सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

क्रमांक: 122202158611

संदर्भ क्रमांक: 2350039797

यह प्रमाणित किया जाता है शासकीय एकलव्य महाविद्यालय एल्युमिनी वेलफेयर, एसोसिएशन, डॉडीलोहारा, जिला बालोद (छ0.ग0) सोसायटी जो शासकीय एकलव्य महाविद्यालय एल्युमिनी वेलफेयर, एसोसिएशन, डॉडीलोहारा, जिला बालोद (छ0.ग0) तहसील Dondi Luhara जिला Balod में स्थित है, छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन तारीख 24/08/2021 को रजिस्ट्रीकृत की गई है।



डी. एल. धुर्वे  
सहायक रजिस्ट्रार  
फॉर्म एवं संस्थाएँ दुर्ग संभाग दुर्ग  
छत्तीसगढ़

This is computer generated certificate. This certificate can be verified online at <http://rfas.cg.nic.in/> through Certificate No. and Date of Registration



  
Principal  
Govt. Eklavya College  
Dondi Lohara, Distt. Balod (C.G.)

Digitally signed by Dhiraj Lal Dhurwey  
Date: 2021.08.24 16:06:01 +05:30  
Reason: For Issuing Registration of New Society  
Location: Durg Sambhag





## Government of Chhattisgarh

## Acknowledgement For On Line Tax Payment

Department Name : Commerce &amp; Industry[11]

SBI Reference No. : CKQ9234415

Name of Tax Payer : Dr Raj kumar Jain Principal

Treasury Reference No. : 66110721001298

Address : Govt Ekalay College, Doudi Lohar, Balod, Chhattisgarh, 491771.

Email ID : Dhalsingh2012@gmail.com

TTN/Registration No/License No/Vehicle No :-  
[As per requirement]

Amount : Rs. 5000.00, In Words : Five Thousand Rupees Only

Purpose : - Registration Fee

Head of A/c :

Major Head Code - 1475

Submajor Head Code - 00

Minor Head Code - 200

Sub Head Code - 0000

Assessment Year / Period : From Period : JUL-2021 - To Period : JUN-2022

Payment in A/c of : 1011004-ASSISTANT REGISTRAR FARMS AND SOCIETIES DURG DIVISION,DURG

CIN No :321084


Date of Transaction : 20-Jul-2021

Time of Transaction : 11:34:11 AM

**Caution :** Transactions after 16:00:00 hours on weekdays and 13:00:00 hours on Saturday will be taken on the next working day. Please refer to FAQ No.7 for details.

Print



  
Principal  
Govt. Eklavya Collage  
Doudi Lohara, Distt. Balod (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य,  
शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डौण्डी लोहारा, जिला - बालोड (छ.ग.)  
mail ID - govtcollegelohara@gmail.com  
Telephone: 07748-254001

त्र क्र. 164 / स्था. / 2021

डौण्डी लोहारा, दिनांक 7/07/2021

ति,

संचालक  
फर्म एण्ड सोसायटी  
दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय:- शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डौण्डीलोहारा, में एलुमनी वेलफेयर एसोसियेशन के पंजीयन के संबंध में।


—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डौण्डीलोहारा, में एलुमनी वेलफेयर एसोसियेशन के पंजीयन कराया जाना है। इस हेतु आवेदन पत्र, भूतपूर्व विद्यार्थियों के फोटो आधार कार्ड की फोटोकापी आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जा रही है।

संलग्न:- विद्यार्थियों की फोटो एवं आधारकार्ड की फोटोकापी



  
Principal  
Govt. Eklavya Collage  
Dorndi Lohara, Distt. Balod (C.G.)

  
प्राचार्य  
शासकीय एकलव्य महाविद्यालय  
डौण्डीलोहारा, जिला बालोड (छ.ग.)



सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए सोसाइटी का ज्ञापन पत्र

1. संस्था का नाम : शासकीय एकलव्य महाविद्यालय एल्युमिनी कैम्पस  
एसोसिएशन, डौण्डी-लोहारा, जिला-बालोद (छत्तीसगढ़)
2. संस्था का कार्यालय : शासकीय एकलव्य महाविद्यालय, डौण्डी-लोहारा  
तहसील डौण्डी लोहारा  
जिला-बालोद छत्तीसगढ़
3. तहसील : डौण्डी लोहारा
4. संस्था का उद्देश्य :

01. महाविद्यालय के पूर्व व वर्तमान छात्र छात्राओं को संगठित करना ।
02. छात्र छात्राओं के हित हेतु उनसे रचनात्मक गतिविधियों के लिये सभी प्रकार के उद्योग प्राप्त करना तथा विविध आयोजन करना ।
03. छात्र छात्राओं को सामुदायिक कार्यों से जोड़कर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
04. छात्र छात्राओं के हित राज्य सरकार व भारत सरकार के समस्त कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
05. शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये जन सामान्य में प्रचार प्रसार करना ।
06. छात्र छात्राओं की आवश्यकतानुसार कार्ययोजना बनाकर कार्य करना ।
07. छात्र छात्राओं की सभी प्रकार की समस्याओं का निराकरण का प्रयास करना ।
08. महापुरुषों की जयंती मनाना एवं उनके आदर्शों को समाज में प्रचार प्रसार करना ।
09. जनहित हेतु स्वास्थ्य, रक्त दान, स्वच्छता, साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, नेत्र शिविर, शिक्षा एवं कैरियर कार्यशाला, विधिक सहायता शिविरों का आयोजन करना ।

5. सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर, परिषद, संचालकों द्वारा या शासी-निकासी को सौंपा गया है; जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे निर्दिष्ट की गई है ।

क्रमांक	अभिदाता का नाम	पिता का नाम	पता	उपजीविका
1.	श्री डोमैन्द जगनाथ	श्री. जोरक जगनाथ	मकान नं० ०५ ग्राम..... डौण्डी/लोहारा पोस्ट डौण्डी/लोहारा..... तहसील डौण्डीलोहारा. जिला बालोद (छत्तीसगढ़)	
2.	श्री आश्विन कुमार	श्री शैलेश्वर	मकान नं० 132 ग्राम..... डौण्डी/लोहारा पोस्ट ..... डौण्डी/लोहारा..... तहसील डौण्डीलोहारा. जिला बालोद (छत्तीसगढ़)	



Principal  
Govt. Eklavya College  
Dondi Lohara, Distt. Balod (C.G.)

प्राचार्य

शासकीय एकलव्य महाविद्यालय  
डौण्डीलोहारा, जिला बालोद (छ.ग.)



3.	श्री योगेश कुमार ठाकुर	श्री उमेश्वर राम	मकान नं० २१/२ ग्राम..... पोस्ट ..... तहसील डोंडोलोहारा, जिला (छत्तीसगढ़)
4.	श्री विजय देवान	श्री विश्वोदर देवान	मकान नं० १५ ग्राम..... पोस्ट ..... तहसील डोंडोलोहारा, जिला (छत्तीसगढ़)
5.	श्री अश्विन	श्री सियाराम	मकान नं० १४ ग्राम..... पोस्ट ..... तहसील डोंडोलोहारा, जिला (छत्तीसगढ़)
6.	श्री सुरेन्द्र कुमार महल्ला	श्री पुनुरुम महल्ला	मकान नं० १० ग्राम..... पोस्ट ..... तहसील डोंडोलोहारा, जिला (छत्तीसगढ़)
7.	श्री कुमल नारायण महल्ला	श्री पुनुरुम महल्ला	मकान नं० ११ ग्राम..... पोस्ट ..... तहसील डोंडोलोहारा, जिला (छत्तीसगढ़)
8.	श्री मनीष कुमार	श्री राम कुमार	मकान नं० १२ ग्राम..... पोस्ट ..... तहसील डोंडोलोहारा, जिला (छत्तीसगढ़)
9.	श्री जिवेन्द्र सिंह	श्री गौतम सिंह	मकान नं० १३ ग्राम..... पोस्ट ..... तहसील डोंडोलोहारा, जिला (छत्तीसगढ़)
10.	श्री गोविन्द सिंह धर	श्री शिवराम धर	मकान नं० १४ ग्राम..... पोस्ट ..... तहसील डोंडोलोहारा, जिला (छत्तीसगढ़)

हस्ताक्षर

(प्रो० राजू भाऊ केळे)  
(प्राधीशास्त्र)

हस्ताक्षर

(सुरेन्द्र कुमार महल्ला)

हस्ताक्षर

(जिवेन्द्र कुमार (धर))



Principal  
Govt. Eklaya Collage  
Dondi Lohara, Distt. Balod (C.G.)

प्राचार्य  
शासकीय एकलव्य महाविद्यालय  
डोंडोलोहारा, जिला बालोद (छ.ग.)



06-छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम संशोधित 1998 (कमाक 44 197/...  
 6 के उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसायटी के विनियम का सम्यक रूप में प्रमाणित एक प्रतिलिपि प्रतिष्ठान ज्ञापन के साथ फाइल की गई है. हम विभिन्न व्यक्ति जिनके नाम और पते नीचे लिखे गए हैं, उपरोक्त प्रतिष्ठान ज्ञापन के अनुसरण में सोसायटी बनाने के इच्छुक हैं और नीचे उल्लिखित गति अनुसार साक्षियों की उपस्थिति में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

क्र०	अभिदाता का नाम	पिता का नाम	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	श्री जेमेन्द्र कुमार जगनायक	श्री श्री मोरछ जगनायक	मकान नं० 65-ग्राम... पोस्ट... तहसील डौण्डीलोहारा, जिला बालोद (छत्तीसगढ़)	
2.	श्री आशित्त कुमार	श्री रेशम	मकान नं० 122-ग्राम... पोस्ट... तहसील डौण्डीलोहारा, जिला बालोद (छत्तीसगढ़)	
3.	श्री योगेश कुमार बाबु	श्री उमेदीराम	मकान नं० 70/2-ग्राम... पोस्ट... तहसील डौण्डीलोहारा, जिला बालोद (छत्तीसगढ़)	
4.	श्री विजय दीवान	श्री श्री दीवान	मकान नं० 15-ग्राम... पोस्ट... तहसील डौण्डीलोहारा, जिला बालोद (छत्तीसगढ़)	
5.	श्री शक्ति	श्री बियाराम	मकान नं० 04-ग्राम... पोस्ट... तहसील डौण्डीलोहारा, जिला बालोद (छत्तीसगढ़)	
6.	श्री सुकेन्द्र कुमार महता	श्री पुनुराम महता	मकान नं० 02-ग्राम... पोस्ट... तहसील डौण्डीलोहारा, जिला बालोद (छत्तीसगढ़)	



Principal  
Govt. Ekavya Collage  
Dondoli, Balod (C.G.)

प्राचार्य

शासकीय एकलव्य महाविद्यालय  
डौण्डीलोहारा, जिला बालोद (छ.ग.)

7.	श्री काल नाथराव महता	श्री पुनुराम महता	मकान नं० १११...ग्राम... पोस्ट... ...तहसील डौण्डीलोहारा, जिला बालोद (छत्तीसगढ़)
8.	श्री मनीष कुमार	श्री राम कुमार	मकान नं० ११२...ग्राम... पोस्ट... ...तहसील डौण्डीलोहारा, जिला बालोद (छत्तीसगढ़)
9.	श्री दिनेश्वर सिंह	श्री गोलम सिंह	मकान नं० ...ग्राम... पोस्ट... ...तहसील डौण्डीलोहारा, जिला बालोद (छत्तीसगढ़)
10.	श्री गोविंद सिंह साहू	श्री लाल कुमार साहू	मकान नं० ११४...ग्राम... पोस्ट... ...तहसील डौण्डीलोहारा, जिला बालोद (छत्तीसगढ़)

दिनांक 30 जून 2021

प्रति,  
सहायक पंजीयक  
फर्म्स एवं संस्थाएँ  
दुर्ग संभाग छत्तीसगढ़

साक्षी

हस्ताक्षर .....  
नाम- R.K. ...  
पिता ...  
पूर्ण पता- ...  
जिला बालोद ...  
मोबाइल- 7000335457



*[Signature]*  
Principal  
Govt. Eklavya Collage  
Dordil Lohara, Distt. Balod (C.G.)

*[Signature]*  
हस्ताक्षर  
(श्री राजू लाल कोठरे)  
(श्री शशी शर्मा)

*[Signature]*  
हस्ताक्षर  
(सुरेश कुमार साहू)

*[Signature]*  
हस्ताक्षर  
(श्री लाल कुमार साहू)



7.	श्री काल नाथराव भदना	श्री पुनुराम गहना	मकान नं० ७५...ग्राम... पोस्ट... ...तहसील डौण्डीलोहारा, जिला बालोद (छत्तीसगढ़)
8.	श्री मनीष कुमार	श्री राम कुमार	मकान नं० ७५...ग्राम... पोस्ट... ...तहसील डौण्डीलोहारा, जिला बालोद (छत्तीसगढ़)
9.	श्री विकेश सिंह	श्री गोलम सिंह	मकान नं० ...ग्राम... पोस्ट... ...तहसील डौण्डीलोहारा, जिला बालोद (छत्तीसगढ़)
10.	श्री गोविंद सिंह साहू	श्री वल्लभ साहू	मकान नं० १५...ग्राम... पोस्ट... ...तहसील डौण्डीलोहारा, जिला बालोद (छत्तीसगढ़)

दिनांक 30 जून 2021


प्रति,  
सहायक पंजीयक  
फार्म एवं संस्थाएं  
दुर्ग संभाग छत्तीसगढ़


साक्षी


हस्ताक्षर .....  
नाम- .....  
पिता .....  
पूर्ण पता- .....  
.....  
जिला बालोद छत्तीसगढ़  
मोबाइल- 97-9833-35457



  
Principal  
Govt. Eklavya Collage  
Dondi Lohara, Distt. Balod (C.G.)

  
हस्ताक्षर  
(श्री राजू लाल कोठरे)  
(श्री श्री शर्मा)

  
हस्ताक्षर  
(श्री सुनील कुमार नास)

  
हस्ताक्षर  
(श्री प्रदीप कुमार नास)


## नियमावली

1. संस्था का नाम : श्री. ए. ए. महाविद्यालय एल्युमिनी, बालोद
2. संस्था का कार्यालय : शा. ए. ए. महा. उड़ी लोहरा जिला-बालोद  
तहसील डौण्डी लोहरा
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : बालोद जिला
4. संस्था का उद्देश्य :
  01. महाविद्यालय के पूर्व व वर्तमान छात्र छात्राओं को संगठित करना ।
  02. छात्र छात्राओं के हित हेतु उनसे रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन सहयोग प्राप्त करना ।
  03. छात्र छात्राओं को सामुदायिक कार्यों से जोड़कर विभिन्न प्रकार के कार्य करना ।
  04. छात्र छात्राओं के हित राज्य सरकार व भारत सरकार के समर्थन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना ।
  05. शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये जन सामान्य में प्रचार प्रसार करना ।
  06. छात्र छात्राओं की आवश्यकतानुसार कार्ययोजना बनाकर कार्य करना ।
  07. छात्र छात्राओं की सभी प्रकार की समस्याओं का निराकरण का प्रयास करना ।
  08. महापुरुषों की जयंती मनाना एवं उनके आदर्शों को समाज में प्रचार प्रसार करना ।
  09. जनहित हेतु स्वास्थ्य, रक्त दान, स्वच्छता, साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, शिविर, शिक्षा एवं कैरियर कार्यशाला, विधिक सहायता शिविरों का आयोजन करना ।
5. सदस्यता-संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे।

(अ.) साधारण सदस्य : जो व्यक्ति रुपये प्रति वर्ष 300/- रुपये संस्था को चन्दे के रूप में देना वह साधारण सदस्य होगा । साधारण सदस्य केवल उररी अवधि के लिये संस्था को चन्दे के लिये उत्तम चन्दा दिया है जो साधारण सदस्य बिना सन्तोषजनक कारणों के छः माह तक एक चन्दा नहीं देना उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के पत्र देना तथा चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है ।

(ब.) सम्माननीय सदस्य : संस्था की प्रबन्धकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उचित अनुरोध के लिये जो भी वह उचित समझे, सम्माननीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा ।



  
 Principal  
 Govt. Eklavya College  
 Dondli Lohara, Distt. Balod (C.G.)



6- सदस्यता की प्राप्ति : प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति सदस्य बनने का इच्छुक हो कि उसे आवेदन करना ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत करना होगा जिसके आवेदन को स्वीकार करने या आगान्य करने का अधिकार होगा !

7- सदस्यों की योग्यता :- संस्था सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित स्थिति होनी चाहिए  
अ/ आयु 18 वर्ष से कम न हो

ब/ भारतीय नागरिक हो

घ/ समिति के नियमों की पालन की प्रतिज्ञा करता हो ।

द/ सदचरित्र तथा मघपान न करता हो ।

इ/ महाविद्यालय के प्राध्यापक अथवा वर्तमान व पूर्व छात्र-छात्रा होना अनिवार्य है ।

ई/ महाविद्यालय में नियमित अध्यापन करने वाले छात्र-छात्रा होना चाहिए ।

8. सदस्यता की समाप्ति : संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जायेगी :-

अ/ मृत्यु हो जाने पर

ब/ पागल हो जाने पर

ग/ संस्था की देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर

द/ त्याग-पत्र देने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिए जाने पर जिसके निष्पत्ति पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी ।

9 संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज होंगे :-

1. प्रत्येक सदस्य का नाम पता तथा ध्यवसाय

2. वह तारिख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं.

3. वह तारिख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो ।

4- सदस्यों के निवास

10. अ. साधारण सभा: साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य भाग ले सकते हैं ।

साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी । परन्तु वर्ष में एक बार बैठक माह पूर्ण अनिवार्य होगी । बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी । बैठक की कोरम 3/5 सदस्यों की होगी । संसद की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी । प्रत्येक सभा में पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा यदि संबधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि यह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जाये ।

ब. प्रबन्धकारिणी सभा : प्रबन्धकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी । बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी को प्रेषित करके सभी भेजी जाया आवश्यक होगी । बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी । बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः को जा सकेंगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी ।



  
Principal  
Govt. Eklavya Collage  
Dondi Lohara, Distt. Balod (C.G.)

विशेष : यदि कम से कम कुल सख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 3/5 सदस्यों लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर बैठक के लिये साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी । विशेष संकल्प पारित हो जाने पर बैठक के लिये पंजीयक का संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जायेगा । पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा सगिति का परामर्श देने का अधिकार होगा ।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :

- क. संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत
- ख. संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना ।
- ग. आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना ।
- घ. अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हों ।
- छ. बजट का अनुमोदन ।

12. प्रबन्धकारिणी का गठन: ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन समिति के पदेन रहेंगे । नियम 5

(अ. ब. स.) दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों बैठक में बसने के अधिकार पर निम्नां— कित पदाधिकारियों तथा प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा ।

- |                 |                               |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
| (अ.) अध्यक्ष    | (ब.) उपाध्यक्ष                | (स.) सचिव |
| (द.) कोषाध्यक्ष | (ई.) संयुक्त सचिव एवं सदस्य—0 |           |

13. प्रबन्धकार्यकारिणी का कार्यकाल : प्रबन्ध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा । यदि यथेष्टा कारण होने पर समय तक जब तक कि नई प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन न हो सके या अन्य कारणों से नहीं हो जाता करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा ।

14. प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :

- अ. जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति 3 का गठन हुआ है उसकी पूर्ति कराने और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।
- ब. पिछले वर्ष का आय-व्यय की लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।
- स. अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर लीये जायें ।
- द. संस्था की समस्त चल-अचल संपत्ति कार्यकारिणी समिति के पास रहेंगी ।
- इ. संस्था द्वारा कोई भी रथावर संपत्ति रजिस्टर की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नहीं की जाएगी ।



*[Handwritten Signature]*

Principal  
Govt. Eklavya Collage  
Dondi Lohara, Dist. Balod (C.G.)



ज. विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने पर विचार दिमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करनी। साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मतों से संशोधित पारित होने पर संशोधित पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा।

14. अध्यक्ष के अधिकार : अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में से प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

15. उपाध्यक्ष के अधिकार : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रतिवेदन करेगा।

16. सचिव (मंत्री) के अधिकार :-

1. साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना तथा बैठकों के आयोजन एवं सभा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।

2. समिति की आय-व्यय की लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के समुख प्रस्तुत करना।

3. समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। लेखा परीक्षण कराना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी का ध्यान दिलाना।

4. सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपये 5,000/- व्यय कराना का अधिकार होगा।

17. संयुक्त सचिव के अधिकार :- सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा।

18. कोषाध्यक्ष के अधिकार : समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

19. बैंक खाता- संस्था की समस्त निधि राष्ट्रीयकृत, सहकारी, अथवा अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी। बैंक खाता संस्था के नाम से होगा। धन का वास्तव्य अध्यक्ष या सचिव व कोषाध्यक्ष में से इनमे से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिनियम रूपये 7,000/- रहेंगे।

20. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी - अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था के वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा म -नियम शुल्क के साथ भेजेगी।



Principal  
Govt. Eklavya Collage  
Dondi Lohara, Dist. Balod (C.G.)

(ग) वार्षिक या मासिक चंदा देने वाला कोई व्यक्ति यदि छः माह तक चंदा नहीं देता तो उसे सदस्यता समाप्त की जा सकती है।  
लगातार चंदा नहीं दे तो ऐसे व्यक्ति को कार्यकारिणी द्वारा सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

(घ) सदस्य द्वारा निश्चित अवधि के पश्चात लगातार छः माह तक चंदा नहीं दे तो उसे सदस्यता समाप्त की जा सकती है।  
प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा एक नोटिस दिया जायेगा। उक्त नोटिस के जवाब में कार्यकारिणी उस पर विचार करके उक्त सदस्य के नाम काटने का निर्णय करेगी। यदि नोटिस का कोई उत्तर प्राप्त हो तो भी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

(इ) प्रबंधकार्यकारिणी के समुचित प्रमाण मिलने पर जांच करने पर सदस्य को कार्यकारिणी के उद्देश्यों के विपरीत कार्य कर रहा है या नियमों का पालन नहीं कर रहा है या समिति की सम्पत्ति को हानि पहुंचा रहा हो या अन्य प्रकार के ऐसी कार्य कर रहा है जो समिति को किसी प्रकार से भी हानि कारक हो तो ऐसी स्थिति में ऐसे सदस्य की सदस्यता समाप्त करने के संबंध में प्रस्ताव साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के तैयार प्रस्तावों के संकलन से स्वीकृत होना आवश्यक होगा।

  
हस्ताक्षर

  
हस्ताक्षर


  
हस्ताक्षर

( प्रो. राजलाल कुलकर्णी ) ( प्रो. सुरेश चंद्रा )

( प्रो. सुरेश चंद्रा )



  
Principal  
Govt. Eklavya Collage  
Dondi Lohara, Distt. Balod (C.G.)

  
प्राचार्य  
शासकीय एकलव्य महाविद्यालय  
डोंडीलोहारा, जिला बालोद (छ.ग.)